न्यायालय उपजिला कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:— 5/14..   तारीख रजू :— 02.01.2014

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश आर्य आर.ए.एस.

उनवान

1 गंगूसिंह
2 जयसिंह
3 भोलासिंह
4 अमरसिंह

पि. नारायणसिंह, जाति राजपूत, निवासी गढी तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0

"

वादीगण

बनाम

1 रघुवीरसिंह
2 नन्दसिंह

पि. धनसिंह

3 जडाव बेवा हाकिमसिंह

4 मोहनसिंह
5 मुरारी "
6 घनश्यामसिंह
7 श्यामसिंह
8 विष्णुसिंह

पि. हाकिमसिंह

9 रकमसिंह उर्फ पप्पू दत्तक पुत्र मनोहरसिंह
10 बृजराजसिंह पुत्र कायमसिंह

11 बाबूसिंह
12 अमरसिंह
13 हरिसिंह
14 प्रीतमसिंह
15 मगनसिंह

पि. छुटटनसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी गढी (मोरडा) तह टोडाभीम जिला करौली

उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

16 फूलबाई बेवा छुट्टनसिंह

17 पूरणसिंह
18 सुरेन्द्रसिंह
19 जनकसिंह
} पि छगनसिंह

20 बन्नीबाई
21 रुकमाबाई
22 सुशीला
23 सुमित्रा
24 सुगरबाई
} पुत्रियां छगनसिंह

25 जगदीशसिंह पुत्र रघुनाथसिंह

26 बृजा बेवा हरदीसिंह

27 टीकमसिंह
28 शिम्भुसिंह
29 बलबहादुरसिंह
30 तारासिंह
} पि हरदीसिंह

31 कमलेश बेवा गोपालसिंह

32 अशोकसिंह पुत्र गोपालसिंह

33 प्रेमदेवी पत्नी माधोसिंह

34 गोविन्दसिंह
35 मलसिंह
36 विजयसिंह
} पि. माधोसिंह

37 कलावती बाई
38 लीला बाई
39 मुन्नीबाई
} पि. रघुनाथसिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी गढी (मोरडा) तह. टोडाभीम जिला करौली राज0

40 बी ओ बी मोरडा तह0 टोडाभीम जिला करौली राज।

41 एस बी बी जे शाखा मेहन्दीपुर बालाजी तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0।

42 तहसीलदार तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1 वादी की ओर से:— सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट

2 प्रतिवादीगण की ओर से :— रामावतार शर्मा

निर्णय

दिनांक— 26.04.2017

दावे के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0 200 रकबा 0.14है0, 202 रकबा 0.15है0, 203 रकबा 0.16है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.45है0 ग्राम गढी पटवार हल्का मोरडा तह टोडाभीम में स्थित है। उक्त आराजी की खातेदारी वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2068—2071 में प्रतिवादीगण के नाम हिस्सेनुसार है। मोहरबाई फौत हो चुकी है। जिसके वारिस प्रतिवादी नं0 1 ता 8 है। उक्त खसरा नम्बरान 200, 202, 203 को सैटिलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा दौराने सेटिलमेन्ट साबिक ख0नं0 95 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा से तरमीम करके अंकित किया है। उक्त आराजी ख0नं0 200, 207, 203 व उसके पूर्व साबिक नम्बर 95 वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी की जमीन रही है। तथा वे उक्त आराजी को बजमाने बुजुर्गान से काश्त करते चले आ रहे है। तथा आज भी काश्त कर रहे है। उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध किसी भी प्रकार का आज दिन तक नही रहा है और ना ही आज है। उक्त आराजी को पहले वादीगण अपने पिता दादा के साथ काश्त करते थे। तथा उनके फौत होने के बाद वादीगण स्वयं काश्त करते रहते है। तथा यह

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

कम बदस्तूर सैकडो साल से चला आ रहा है। तथा आज भी बदस्तूर जारी है। इस प्रकार वादीगण सैकडो साल से काबिज होने तथाकाश्त करने पर उक्त आराजी को एडॅवर्डस पजेशन तथा लॉग टर्मस पजेशन के आधार पर खातेदारी कराने के मुस्तहक है। वादीगण उक्त आराजी पर सैकडो साल से काबिज एवं दखील है। तथा साल दर साल फसल दर फसल काश्त करते रहे है। मौके पर काश्त के बाबत् कोई विवाद भी नही है। लेकिन प्रतिवादीगण के नाम आज किसी भी प्रकार की परेशानी नही है। लेकिन भविष्य को लेकर अंदेशा बना हुआ है। आराजी की खातेदारी होने तथा लगातार खातेदारो की संख्या बढने के कारण परेशानीसे बचने के लिये वादीगण द्वारा दिनांक 08.12.2013 को प्रतिवादीगण से कहा कि हम हमेशा से उक्त आराजी पर काबिज है तथा तुम्हारा कभी भी कब्जा नही रहा है। क्योकि पहले हम खातेदार थे अब बढ गये तथा भविष्य में और बढ जायेगे तो प्रतिवादीगण बोले कि जमीन कही भागे थोडे जा रही है। तुम्हारे कब्जे काश्त में है तथा टालमटोल कर रहे है। इसलिये दावा पेश करना आवश्यक हुआ है कि उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का नाम हजफ फरमाकर वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया तथा प्रतिवादीगण नं0 9 द्वारा इकबाली जबाव पेश कर दावा डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नही होना अंकित कराया प्रतिवादी नं0 1, 2, 11, 12, 15, 17, 19, 32 ने अदालत में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया तथा प्रतिवादी नं0 10, 13, 14, 27 द्वारा एक साथ आकर अदालत में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया तथा राजीनामा में स्वीकार किया कि उक्त आराजी वादीगण के कब्जे काश्त की रही है तथा हमने उक्त आराजी हमारी याद कभी भी काश्त नही की ना हमारे बुजुर्ग द्वारा काश्त की बल्कि हमेशा से वादीगण व उनके पिता व दादा को काश्त करते देखा है। इसलिये उक्त आराजी वादीगण

उप जिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

के नाम होने पर हमे कोई आपत्ति नही है। शेष प्रतिवादीगण अदालत नही आये तथा उनके खिलाफ भी इकतरफा कार्यवाही हो चुकी है।

अधिवक्ता द्वारा बहस से पूर्व एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उक्त आराजी पर काबिज होने के कारण स्थायी निषेधाज्ञा की रिलीफ हजफ फरमायी जावे जो स्वीकार की गई तथा वादी वकील की बहस सुनी गई। उन्होने वाद पत्र के मदो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए तथा अधिकतम प्रतिवादीगण के राजीनामा के मुताबिक दावा डिक्री करने का निवेदन किया कि उक्त आराजी हमेशा से वादीगण व उनके पूर्वज काश्त करते रहे है। तथा आज भी काश्त कर रहे है। जो प्रतिवादीगण अदालत नही आ पाये वे पर्दाकशीन महिलाऐं है। जो ज्यादातर सुसराल में है तथा उन्हे भी कोई आपत्ति नही है। अन्यथा वे अदालत में आकर अपना पक्ष रखती।

मैने वकील वादीगण की बहस सुनी तथा पत्रांवली में प्रस्तुत दस्तावेजात इकवाली जबाव व राजीनामा पर मनन किया, वकील वादी द्वारा अपनी बहस में वताया कि उक्त आराजी वादीगण के कब्जे काश्त में है तथा उससे पूर्व उसके पिता तथा दादा के कब्जे काश्त में है तथा उससे पूर्व उसके पिता तथा दादा के कब्जे काश्त में है। उक्त समर्थन में उसने गिरदावरी संवत् 2014 ता 2019 पेश की तथा उक्त कथन समर्थन प्रतिवादी नं0 9 एवं 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17, 27, 32 द्वारा अदालत में स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत करके उक्त आराजी वादीगण के नाम कर देने में कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया तथा पूछताछ मैं भी उनहें उक्त आराजी वादीगण ही बताया है। शेष प्रतिवादीगण अदालत में सम्मन प्राप्ति के बाद भी उपस्थित नही हुये है। इसलिये ये प्रतीत होता है कि उक्त विवाद के बाबत् उनकी कोई रूचि नही है। इसलिये इकवाली जबाव व पक्षकारान द्वारा अदालत में उपस्थित होकर

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

राजीनामा के आधार पर एवं मुख्यत इन्द्राज दुरूस्ती का मामला होने से वादीगण का दावा डिक्री होने योग्य प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0नं0 200/0.14, 202/0.15, 203/0.16है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.45है0 ग्राम गढी में पटवार हल्का मोरडा तह0 टोडाभीम जिला करौली में प्रतिवादीगण के नाम हजफ कर वादीगण को बहिस्सा बराबर बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner